छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 303/2006</u>

श्री अमिय अग्रवाल,
अधिवक्ता,
बजरंग चौक, बलौदाबाजार,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 03 नवम्बर 2006)

श्री अमिय अग्रवाल, अधिवक्ता निवासी–बलौदाबाजार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के आदेश दिनांक 14–7–2006 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 25–4–2006 के द्वारा सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से न्यायिक सेवा परीक्षा–2004 में आवेदक के द्वारा दिये गये तीनों पेपर विधि, निबंध लेखन तथा अनुवाद, एवं निर्णय लेखन की उत्तरपुस्तिका की सत्यापित छायाप्रति चाही थी। आयोग के द्वारा पत्र दिनांक 12 मई 2006 से आवेदक को सूचित किया कि परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया एवं अभ्यर्थियों का चयन गोपनीय गतिविधि होती है, उत्तरपुस्तिका की प्रति दिये जाने से मूल्यांकनकर्ता, जांचकर्ता तथा मुख्य परीक्षक की पहचान हो सकती है। अतः उत्तरपुस्तिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलार्थी के द्वारा इससे असंतुष्ट होकर सचिव एवं अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा–2004 के फलस्वरूप अंतिम रूप से चयन की सूची जारी की जा चुकी है। अतः उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी का तर्क है कि परीक्षाओं की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक है तथा

केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा प्रकरण क्रमांक–11/53/2006 में दिये गये निर्णय में परीक्षाओं की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक माना गया है तथा परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने से विमुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे) के अंतर्गत वैश्वासिक संबंधों में सूचना को विमुक्त माना गया है, जब तक यह सूचना लोकहित में प्रकटन करना आवश्यक हो। प्रस्तुत प्रकरण में लोकहित में परीक्षा की गोपनीयता एवं गरिमा को बनाये रखने के लिए चयन परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति दिया जाना उचित नहीं प्रतीत होता। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14–7–2006 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

हस्ता0/– 03–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त